न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर **W.R.**

अपील/एलआर./2002/5763/जयपुर

1– रामजीलाल (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :–

1/1– मातादीन पुत्र स्व. रामजीलाल

1/2– रामसिंह पुत्र स्व. रामजीलाल

1/3– शेरसिंह पुत्र स्व. रामजीलाल

1/4– मु. विघा देवी पत्नी स्व. कर्णसिंह

1/5– राजेश पुत्र स्व. कर्णसिंह

1/6– मुकेश पुत्र स्व. कर्णसिंह

1/7– सरजीत पुत्र स्व. रामजीलाल

1/8– रणजीत पुत्र स्व. राजीलाल

1/9– सतवीर पुत्र स्व. रामजीलाल

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम सांगटेडा, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।

1/10– श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व. रामजीलाल, धर्मपत्नि बाबूलाल निवासी जसाई नांगल, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

1/11– श्रीमती संतोष देवी पुत्री स्व. रामजीलाल, धर्मपत्नि सुरेन्द्र कुमार निवासी मौन्दपुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– जनता ग्राम पंचायत सांगटेडा जरिये ग्रामवासी :–

1/1– जगमाल सिंह पुत्र श्योदान

1/2– प्रदीप पुत्र उमरावसिंह

1/3– धर्मपाल पुत्र प्रहलाद

1/4– छीतरमल पुत्र मूलाराम

2– राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली जिला जयपुर।

...रेस्पोन्डेन्टस

एकल–पीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अपीलान्टस

श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 20 अप्रैल, 2022

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 24–9–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सांगटेडा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर–48, 88, 89, 92, 93, 99, 100, 101, 153, 535, 536, 950, 951 व 109/1558 अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी और उक्त भूमि राजस्व भू अभिलेखों में अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज थी। भूमि खसरा नम्बर–535 के दक्षिण की ओर भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर–592 रकबा 1.19 हैक्टेयर स्थित था जो राजस्व भू अभिलेखों में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज था। राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश दिनांक 20–10–1999 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर–592 रकबा 1.19 हैक्टेयर में से 3 एयर भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश जिला कलेक्टर, जयपुर को दे दिये और उक्त आदेश के आधार पर जिला कलेक्टर, जयपुर ने दिनांक 23–10–1999 को आदेश पारित किये और उनके आधार पर नामान्तरकरण संख्या–253 तस्दीक किया जाकर भूमि खसरा नम्बर–592 की 0.03 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ते से सिवायचक अंकित कर दिया गया। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश प्राप्त करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली ने उक्त 3 एयर भूमि सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंआ / ट्यूबवैल हेतु अपीलान्ट को दिनांक 15–11–1999 को आबंटित कर दी व पट्टा विलेख भी निष्पादित कर दिया। अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) के तहत आबंटन निरस्त करने हेतु कलेक्टर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 1–10–2001 द्वारा स्वीकार कर उक्त आबंटन व पट्टा निरस्त कर दिया। अपीलार्थी ने जिला कलेक्टर, जयपुर के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 1–10–2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने निर्णय दिनांक 24–9–2002 द्वारा निरस्त फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 24–9–2002 एवं जिला कलेक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 1–10–2001 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील के दौरान अपीलार्थी रामजीलाल की मृत्यु हो गयी और उनके वारिसानों को रिकार्ड पर लिया गया। संशोधित उनवान पेश किया गया जिसे पत्रावली में संलग्न किया गया।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

5– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर दिनांक 24–9–2002 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी माननीय न्यायालय को प्राप्त है परन्तु विधि के स्पष्ट प्रावधानों पर विचार किये बिना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने के कारण निरस्तनीय है। नियमन के समय भूमि विवादग्रस्त राजकीय कृषि योग्य भूमि थी जिसका विधिवत नियमन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था। नियमन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये हैं जो पूर्णतः अवैध होने के कारण निरस्तनीय है। यहां पर यह तथ्य भी अवलोकनीय है कि राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि आबंटन नियम–1970 के नियम–14(4) के तहत आबंटन निरस्त किया गया है जबकि उक्त आबंटन सिंचाई प्रयोजनार्थ आबंटन नियम–1979 के तहत किया गया है। इस कारण भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 24–9–2002 एवं जिला कलेक्टर, जयपुर का निर्णय दिनांक 1–10–2001 निरस्त फरमाया जाये।

6– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर एवं जिला कलेक्टर, जयपुर के निर्णय क्रमशः 24–9–2002 एवं 1–10–2001 समवर्ती निर्णय है और विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत हैं। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर–592 रकबा 1.19 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिसमें से 3 ऐयर भूमि अपीलार्थी को कंआ हेतु आबंटित कर दी गयी थी। यह आबंटन नियम विरूद्ध है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के तहत गैर मुमकिन रास्ता की भूमि आबंटन योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी को विवादित भूमि का आबंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है जिसे जिला कलेक्टर,

जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 1–10–2001 द्वारा सही निरस्त कर दिया गया है और जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–2002 द्वारा पुष्ट किया है। अतः द्वितीय अपील के माध्यम से इन निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आरबीजे–2007 पेज492
2– आरआरडी–1992 पेज–234
3– आरआरटी–203(2) पेज–765
4– डीएनजे–2009(1) (राज.) पेज–122
5– आरआरडी–1998 पेज–334
6– आरआरडी–1989 पेज–203
7– आरआरटी–2003(1) पेज–34
8– आरआरटी–2008(2) पेज–1429
9– आरआरडी–2002 पेज–1
10– आरबीजे–2007 पेज–492
11– आरआरटी–2017(2) पेज–1070
12– आरआरटी–2001(2) पेज–1159
13– आरआरडी–2009 पेज–433
14– आरआरडी–1992 पेज–496
15– आरआरटी–2001(1) पेज–57 (एच.सी.)

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

8– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्वान उप जिला कलेक्टर, कोटपूतली ने दिनांक 15–11–1999 को आराजी खसरा नम्बर 592 एयर में से 3 एयर भूमि अपीलार्थी रामजीलाल को चाह के लिये आबंटित कर दी और दस वर्ष के लिये एक पटटा विलेख लिख दिया। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि आराजी खसरा नम्बर–592 जिसका रकबा 1.19 हैक्टेयर था, की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी। उप जिला कलेक्टर कोटपूतली द्वारा यह आबंटन **"सिंचाई प्रयोजन के लिये कुंऐ खोदने व पम्प सैट लगाने हेतु भूमि का आबंटन नियम–1979"** के तहत आबंटन किया गया था।

9– राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोनार्थ कुंए एवं ट्यूबवैल स्थापित करने हेतु भूमि आबंटन) नियम–1979 के नियम–4(i) में प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 में वर्णित भूमियों का आबंटन नहीं किया जा सकता है। चूंकि आबंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है इसलिये उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आबंटन योग्य नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–3) के आदेश दिनांक 20–10–1999 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर–592 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 3 एयर भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये और आदेश की पालना में जिला कलेक्टर, जयपुर ने दिनांक 23–10–1999 को आदेश भी पारित कर दिये जिनसे नामान्तरकरण संख्या–253 तस्दीक हो गया और उक्त 3 एयर भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली ने अपीलार्थी को उक्त भूमि सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंआ / ट्यूबवैल स्थपित करने हेतु 10 वर्ष के लिये आबंटित कर दी एवं पटटा विलेख भी निष्पादित कर दिया।

10– अप्रार्थीगण ने जिला कलेक्टर, जयपुर के समक्ष अनियमित आबंटन के विरूद्ध शिकायत की तब इसकी जांच की गयी। जांच में सामने आया कि सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंए एवं ट्यूबवैल लगवाने हेतु भूमि का आबंटन नियम–1979 के नियम–5 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को ऐसी भूमि चिन्हित करके रिजर्व रखनी थी जिनको कुंए और ट्यूबवैल स्थापित करने के लिये लीज पर आबंटन की जा सके। किन्तु विवादित भूमि के संबंध में नियम–5 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी कोई भूमि आरक्षित नहीं रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त इन्हीं नियमों के नियम–9 के अनुसार जिला कलेक्टर को कुंए और ट्यूबवैल स्थापित करने हेतु भूमि आबंटन करने हेतु लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये एक उद्घोषणा जारी करनी थी लेकिन जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा नियम–9 के अन्तर्गत ऐसी कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि खसरा नम्बर–592 रकबा 3 एयर का आबंटन नियमों के विपरीत होने के कारण नियम–13 के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

11– यह सही है कि अप्राथीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह कृषि भूमि आबंटन नियम–1970 के नियम–14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जबकि भूमि का आबंटन सिंचाई प्रयोजनाथ कुंए व ट्यूबवैल स्थापित करने के नियम–1979 के तहत किया गया था। लेकिन गलत नियमों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से कोई भी नियम विरूद्ध आबंटन सही नहीं हो जाता है। चूंकि अपीलार्थी को किया गया आबंटन नियम विरूद्ध था इसलिये जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा उक्त आबंटन को निर्णय

दिनांक 1–10–2001 द्वारा निरस्त कर दिया गया जो कि एक विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं तर्कसंगत निर्णय है और इस निर्णय की पुष्टि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–2002 द्वारा की है।

12– अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने के कारण पोषणीय हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। द्वितीय अपील में अपीलार्थीगण ने कोई ठोस एवं सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसलिये यह अपील सारहीन होने के कारण से निरस्त किये जाने योग्य है।

13– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य